



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8563

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 624 वर्ष 2026

शुएबआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : मजहर उल्लाह, रिजवान अहमद

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मजहर उल्लाह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव सिंह जो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार द्वारा सहायता प्राप्त थे, को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 80 वर्ष 2025, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना बधापुर, जिला बिजनौर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। यह तत्कालीन उत्तेजना का मामला है क्योंकि आवेदक को मृतक व्यक्ति द्वारा गलत नाम से पुकारकर छेड़ा एवं तंग किया गया था।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि यह मामला हत्या की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 26.5.2025 से जेल में है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया कि यह एक स्पष्ट मामला है क्योंकि मृतक व्यक्ति ने स्वयं एफआईआर दर्ज कराई है, जो त्वरित है, और उसने एकमात्र अभियुक्त-आवेदक को नामित किया है, इसलिए आवेदक जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर त्वरित है तथा घायल/मृतक द्वारा दर्ज कराई गई है, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं मानता।
8. जमानत आवेदन गुणहीन पाया गया है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
9. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को यदि कोई विधिक बाधा न हो तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम पंजाब

राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एससीसी 702 के मामलों में निर्धारित हालिया सिद्धांत के दृष्टिगत शीघ्रता से निर्णीत किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।